न्यायालय सहायक कलक्टर (FT), मावली जिला उदयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.

पत्रावली संख्या : 36/24 (प्रा0पत्र)

GCMS No. : 2024/98

अनवान्

1. श्रीमती मांगीबाई पुत्री दला पत्नी देवीलाल जाट निवासी सनवाड लक्ष्मी होटल के पास तह. मावली।

.....प्रार्थीया

बनाम

1. श्री मोहनलाल पिता दला जाट निवासी खरताणा तह. मावली।
2. श्रीमती भगुबाई पत्नी दला जाट निवासी खरताणा तह. मावली।
3. श्री दला पिता वेणा जाट निवासी खरताणा तह. मावली।
4. श्री उदयराम पिता भेरा जाट निवासी खरताणा तह. मावली।
5. श्री गोरधन पिता दौला जाट निवासी खरताणा तह. मावली।
6. श्रीमती झमकु पुत्री दौला जाट निवासी खरताणा तह. मावली।
7. श्रीमती झमकु पुत्री राधी जाट निवासी खरताणा तह. मावली।
8. श्री डालु पिता रामा जाट निवासी खरताणा तह. मावली।
9. श्री तुलसीराम पिता दौला जाट निवासी खरताणा तह. मावली।
10. श्रीमती नानी पत्नी भेरा जाट निवासी खरताणा तह. मावली।
11. श्रीमती नोजी पत्नी उदा जाट निवासी खरताणा तह. मावली।
12. श्री भूरा पिता मियाचन्द जाट निवासी खरताणा तह. मावली।
13. श्री भेरा पिता जालम जाट निवासी खरताणा तह. मावली।
14. श्री मांगीलाल पिता दौला जाट निवासी खरताणा तह. मावली।
15. श्री मोहनलाल पिता दला जाट निवासी खरताणा तह. मावली।
16. श्री मोहनलाल पिता दौला जाट निवासी खरताणा तह. मावली।
17. श्री रतनलाल पिता भेरा जाट निवासी खरताणा तह. मावली।
18. श्री रामा पिता जालम जाट निवासी खरताणा तह. मावली।
19. श्रीमती लक्ष्मीबाई पुत्री राधा जाट निवासी खरताणा तह. मावली।
20. श्रीमती शंकरी पुत्री दौला जाट निवासी खरताणा तह. मावली।
21. श्री हरलाल पिता वेणा जाट निवासी खरताणा तह. मावली।
22. श्रीमती अमरी पुत्री हरलाल जाट निवासी खरताणा तह. मावली।
23. श्री चतरभुज पिता हरलाल जाट निवासी खरताणा तह. मावली।
24. श्री तोलीराम पिता हरलाल जाट निवासी खरताणा तह. मावली।
25. श्रीमती प्रतापी पुत्री हरलाल जाट निवासी खरताणा तह. मावली।
26. श्री डुंगा पिता दौला जाट निवासी खरताणा तह. मावली।
27. श्रीमती बदामी पुत्री दौला जाट निवासी खरताणा तह. मावली।
28. श्री बाबुलाल पिता देवा जाट निवासी खरताणा तह. मावली।
29. श्री मांगीलाल पिता रामा जाट निवासी खरताणा तह. मावली।
30. श्री अमरचन्द पिता दला जाट निवासी खरताणा तह. मावली।
31. श्रीमती उदीबाई पुत्री देवा जाट निवासी खरताणा तह. मावली।
32. श्री कसना पिता डुंगा जाट निवासी खरताणा तह. मावली।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.12.18 16:43:07 IST
Reason: SelfAttested

33. श्री खेमराज पिता दला जाट निवासी खरताणा तह. मावली।
34. श्री गोदा पिता रामा जाट निवासी खरताणा तह. मावली।
35. श्रीमती चन्दा पुत्री रामा जाट निवासी खरताणा तह. मावली।
36. श्रीमती चान्दी पुत्री रामा जाट निवासी खरताणा तह. मावली।
37. श्रीमती जमना पुत्री उदा जाट निवासी खरताणा तह. मावली।
38. श्री जयचन्द पिता दला जाट निवासी खरताणा तह. मावली।
39. श्रीमती देऊ पुत्री उदा जाट निवासी खरताणा तह. मावली।
40. श्रीमती दाखीबाई पत्नी देवा जाट निवासी खरताणा तह. मावली।
41. श्रीमती धापु पत्नी दल्ला जाट निवासी खरताणा तह. मावली।
42. श्रीमती नानी पत्नी रामा जाट निवासी खरताणा तह. मावली।
43. श्री नारायण पिता रामा जाट निवासी खरताणा तह. मावली।
44. श्रीमती प्रेमी पुत्री रामा जाट निवासी खरताणा तह. मावली।
45. श्री बाबुलाल पिता देवा जाट निवासी खरताणा तह. मावली।
46. श्री भगवानलाल पिता ऊंकार जाट निवासी खरताणा तह. मावली।
47. श्री भूरा पिता मियाचन्द जाट निवासी खरताणा तह. मावली।
48. श्री भेरा पिता जालम जाट निवासी खरताणा तह. मावली।
49. श्रीमती मांगीबाई पत्नी देवा जाट निवासी खरताणा तह. मावली।
50. श्री माधु पिता देवा जाट निवासी खरताणा तह. मावली।
51. श्री रामा पिता जालम जाट निवासी खरताणा तह. मावली।
52. श्री लालुराम पिता रता जाट निवासी खरताणा तह. मावली।
53. श्री वरदीचन्द पिता दला जाट निवासी खरताणा तह. मावली।
54. श्रीमती सोसर पुत्री रामा जाट निवासी खरताणा तह. मावली।
55. श्री हरलाल पिता वेणा जाट निवासी खरताणा तह. मावली।
56. उपतहसीलदार, उप तहसील सनवाड तह. मावली।
57. उप पंजीयक, सनवाड तह. मावली।
58. तहसीलदार, तहसील कार्यालय मावली।
59. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली, तह. मावली।

................विपक्षीगण

उपस्थित—1. श्री लक्ष्मीलाल रेगर, अधिवक्ता प्रार्थीया।
2. श्री रोशनलाल डांगी, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1 से 3

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

—: : निर्णय : :—

दिनांक : 05.12.2024

1. प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि मौजा खरताणा पटवार हल्का खरताणा में पक्षकारान की मौरूसी हिन्दू परिवार की अविभाजित कृषि भूमिया स्थित है जो निम्न प्रकार है परिशिष्ट 1 में वर्णित खसरा नम्बर 1339, 1346, 27, 29, 31, 32 किता 6 रकबा 2.1124 हेक्टेयर जिसमें विपक्षी सं. 3 दलाजी का 4/9 हिस्सा दर्ज था जो अभी विपक्षीगण सं. 1 के नाम दर्ज है जिसमें प्रार्थीया का 4/36 वां हिस्सा हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.12.18 16:43:07 IST
Reason: SelfAttested

परिशिष्ट 2 में वर्णित आराजी नम्बर 1210, 1338, 23 किता 3 रकबा 0.7203 हेक्टेयर जिसमें विपक्षी संख्या 3 दलाजी का 1/3 हिस्सा होकर वर्तमान में विपक्षी संख्या 1 मोहनलाल का नाम दर्ज है जिसमें मुझ प्रार्थीया का 1/12 वां हिस्सा हैं। परिशिष्ट 3 में वर्णित आराजी नम्बर 1341 रकबा 0.0647 आ.चा. कुंआ है, जिसमें विपक्षी संख्या 3 दला जी का 1/6 हिस्सा है जो वर्तमान में विपक्षी संख्या 1 मोहनलाल का नाम दर्ज है जिसमें प्रार्थीया का 1/24 वां हिस्सा हैं। परिशिष्ट 4 में वर्णित आराजी नम्बर 36 रकबा 0.0809 आ.चा. जिसमें विपक्षी संख्या 3 दलाजी का 1/12 वां हिस्सा है जो अभी विपक्षी सं. 1 मोहनलाल के नाम दर्ज है जिसमें प्रार्थीया का 1/48 वां हिस्सा है। परिशिष्ट 5 में वर्णित आराजी नम्बर 65 बावडी रकबा 0.0890 आ.चा. है जिसमें विपक्षी संख्या 3 का 1/12 वां हिस्सा था जो वर्तमान में विपक्षी सं. 1 मोहनलाल के नाम दर्ज है जिसमें प्रार्थीया का 1/48 वां हिस्सा हैं।

2. यह कि प्रार्थना पत्र में वर्णित समस्त आराजीयात मुझ प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 1 से 3 की संयुक्त हिन्दू परिवार की पैतृक सम्पति है जो प्रार्थीया के ससुर विपक्षी संख्या 3 दलाजी को उनके पूर्वजो से प्राप्त हुई हैं। दलाजी ने स्वयं ने वादगत जमीन को क्रय नहीं किया हैं। इसलिए विपक्षीगण सं. 3 दलीचन्दजी को उनके नाम दर्ज समस्त भूमि को किसी अन्य व्यक्ति को किसी भी प्रकार से रहन व बक्षीस कर हस्तान्तरित करने का अधिकार नहीं था। यदि दलाजी का वादगत जमीन में जो उनके नाम दर्ज थी उसमें से उनका हिस्सा ही हस्तान्तरित करने का अधिकार था जो 1/4 हिस्सा उनके हिस्से में आता था बाकी 1/4 मोहनलाल का, 1/4 भगूबाई का एवं 1/4 मुझ प्रार्थीया मांगीबाई का हैं।

3. यह कि प्रार्थीया एवं विपक्षी सं. 1 से 3 के परिवार का सजरा खानदान इस प्रकार है :–

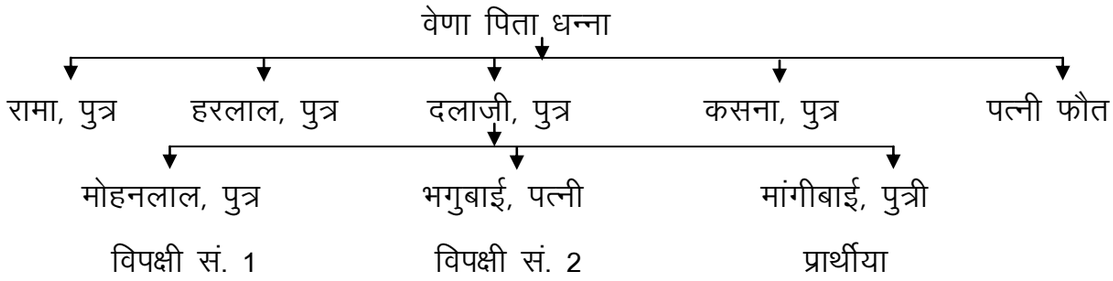

उपरोक्त सजरे के अनुसार मृतक वेणा पिता धन्नाजी के चार लडके हुए जिनको प्रत्येक को 1/4–1/4 हिस्सा वेणा जी की सम्पति से मिला विपक्षी संख्या 3 दलाजी जीवित है उनके एक पुत्र मोहनलाल विपक्षी सं. 1 है दूसरी पत्नी भगुबाई एवं तीसरी मैं प्रार्थीया मांगीबाई उनकी पुत्री हूं। इस प्रकार मेरे माता, पिता एवं मेरा चारो का दला जी के नाम दर्ज जमीन में 1/4–1/4 हिस्सा बनता हैं।

4. यह कि प्रार्थना पत्र में वर्णित जमीन विपक्षी सं. 3 दला जी के नाम दर्ज हुई क्योंकि वे कर्ताखानदान थे लेकिन उक्त जमीन में 1/4 हिस्सा ही दला जी का बनता है जो वे

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.12.18 16:43:07 IST
Reason: SelfAttested

किसी भी व्यक्ति को रहन व बक्षीस करने के लिए स्वतन्त्र थे। हिस्से से अधिक जमीन कोई भी व्यक्ति रहन व बक्षीस करने का अधिकारी नहीं होता हैं। स्वयं विपक्षी सं. 3 दलाजी भलीभांति जानते थे कि जमीन पैतृक है उनको उनके नाम दर्ज सारी जमीन को विक्रय करने का अधिकार नहीं था लेकिन मुझ प्रार्थीया को नुकसान पहुंचाने व मेरे हिस्से की जमीन से वंचित करने की नियत से उन्होने जीते जी चुपके–चुपके मेरे सगे भाई विपक्षी सं. 1 मोहनलाल को जरिये दानपत्र दिनांक 29.01.2024 द्वारा सभी जमीन को हस्तान्तरित कर दी तथा जरिये म्यूटेशन संख्या 1704 दिनांक 11.03.2024 से विपक्षी संख्या 3 दलीचन्द से विपक्षी संख्या 1 मोहनलाल के नाम दर्ज भी हो गई।

5. यह कि विपक्षी सं. 1 मोहनलाल के नाम मेरे पिता की सारी जमीन दानपत्र से दर्ज हो गई जिसका ज्ञान मुझ प्रार्थीया को 30.03.2024 को हुआ तो मैने उप पंजीयन कार्यालय सनवाड से दानपत्र दिनांक 29.01.2024 की प्रतिलिपि 08.04.2024 को प्राप्त की तो सारी जानकारी हुई। फिर प्रार्थीया ने अपने पिता दलाजी एवं मेरे भाई मोहनलाल विपक्षी सं. 1 को 09.04.2024 को सारी बात बताई व मेरे हिस्से का भी दानपत्र क्यों कराया पूछा तो दोनो ने कहा कि आज के बाद जमीन का नाम मत लेना, खेतो पर भी मत आना। विपक्षी सं. 1 मोहनलाल ने कहा कि जमीन मेरे नाम दर्ज हो गई है ज्यादा मुकदमें बाजी करेगी तो जमीन जो दानपत्र से मेरे खाते आ गई है सभी जमीन को दूसरे को बेच दूंगा तथा प्राप्त धनराशि से दूसरी जगह जमीन खरीद लुंगा। इस प्रकार विपक्षी संख्या 1 से 3 तीनों आपस में मिल गये है तथा मुझे सदैव के लिए मेरे 1/4 हिस्से की जमीन से वंचित करना चाहते है जिसका उन्हे कोई हक अधिकार नहीं है तथा मैं प्रार्थीया इस वाद के जरिये इस आशय की घोषणा करने की अधिकारी हूं कि विपक्षी सं. 3 द्वारा दान की गई जमीन में 1/4 हिस्सा पाने की अधिकारी हूं तथा मोहनलाल के नाम दर्ज है उसे हटवाने की अधिकारी हूं।

6. यह कि विपक्षी संख्या 3 दला जी ने पैतृक सारी जमीन का दानपत्र विपक्षी सं. 1 मोहनलाल के नाम किया है जो मुझ प्रार्थीया के मुकाबले नल एण्ड वोईड है क्योंकि उन्हे इसमें 1/4 हिस्से तक कि जमीन का ही दान करने का अधिकार था। राजस्व रिकार्ड में विपक्षी संख्या 1 मोहनलाल के नाम सारी जमीन दर्ज हो गई उसे हटवाने की अधिकारी हूं।

7. यह कि वाद कारण दिनांक 30.03.2024 को उत्पन्न हुआ जब प्रार्थीया को वादगत जमीन का पिता दलाजी द्वारा मेरे भाई मोहनलाल के नाम सारी जमीन का दानपत्र कर देने का पता चला उसके बाद मैने उपपंजीयक कार्यालय सनवाड से दानपत्र दिनांक 29.01.2024 की प्रतिलिपि प्राप्त की जो प्रार्थीया को दिनांक 08.04.2024 को प्राप्त हुई तो सारी जानकारी प्राप्त हुई कि मेरे हिस्से की जमीन भी मेरे पिता विपक्षी सं. 3 दलाजी ने मेरे भाई विपक्षी सं. 1 मोहनलाल को बक्षीस कर दी है जो करने का उन्हे कोई हक

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sivi Punadia
Date: 2024.12.18 16:43:07 IST
Reason: SelfAttested

अधिकार नहीं था। उसके लिए दिनांक 09.04.2024 को उन्हे कहा तो धमकी दी कि जमीन पर मत आना। विपक्षी सं. 1 मोहनलाल ने कहा कि ज्यादा करेगी तो जमीन तो मेरे नाम आ चुकी है उसे दूसरे व्यक्ति को बेच दूंगा तथा जो रूपये आयेंगे उससे दूसरी जमीन खरीद लुंगा। वादकारण उत्पन्न होकर निरन्तर जारी हैं।

8. यह कि प्रार्थीया का प्रथम दृष्टया मामला है मै प्रार्थीया विपक्षी संख्या 1 से 3 के विरूद्व इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने की अधिकारी हूं कि वे प्रार्थना पत्र जमीन में प्रार्थीया के हिस्से की 1/4 हिस्से की जमीन में दखलन्दाजी नहीं करे, प्रार्थीया को शांतिपूर्वक काश्त करने देवे। विपक्षी सं. 1 मोहनलाल को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वह दानपत्र से जो जमीन उसके नाम दलाजी से प्राप्त हुई है उसे किसी अन्य व्यक्ति को रहन व बक्षीस द्वारा हस्तान्तरित नहीं करे न किसी अन्य के मार्फत ही करावें। विपक्षीगण उप पंजीयक सनवाड को पाबंद किया जावे कि वे उनके समक्ष उक्त वर्णित जमीन का विपक्षी मोहनलाल की ओर से रहन व बक्षीस का दस्तावेज प्रस्तुत हो तो वे उसका पंजीयन नहीं करे, ना ही अपने अधीनस्थ से करावे। यदि जरिये स्थाई निषेधाज्ञा विपक्षी सं. 1 मोहनलाल को पाबंद नहीं किया तो वह रातो रात दान से प्राप्त उक्त वर्णित जमीन को अन्य व्यक्ति को रहन व बक्षीस द्वारा हस्तान्तरित कर देगा तो मै प्रार्थीया अपने हिस्से की जमीन से सदैव के लिए वंचित हो जाऊंगी जबकि स्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से विपक्षी सं. 1 से 3 को किसी प्रकार की असुविधा या नुकसान होने वाला नहीं हैं।

9. अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थीया के पक्ष में विपक्षी संख्या 1 से 3 के विरूद्व इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि प्रार्थना पत्र में वर्णित विपक्षी संख्या 1 दलीचन्द के हिस्से वाली जमीन में 1/4 हिस्से कि जमीन का प्रार्थीया को शांतिपूर्वक उपयोग, उपभोग करने देवे, किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करे न अन्य को करावें। विपक्षी उप पंजीयक सनवाड को पाबंद किया जावे कि विपक्षी सं. 1 मोहनलाल उक्त जमीन का कोई भी दस्तावेज वास्ते पंजीयन उनके समक्ष प्रस्तुत करे तो वे उसका पंजीयन नहीं करे न अन्य के मार्फत करावें।

10. पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा विपक्षी संख्या 2 से 55 के विरूद्व कोई कार्यवाही नहीं चाहने से इनके विरूद्व पूर्व में कार्यवाही ड्रोप की जा चुकी हैं। विपक्षी संख्या 1 से 3 द्वारा जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि को प्रार्थीया ने अपनी पैतृक सम्पति होना बताकर हस्तगत वाद/प्रार्थना पत्र विपक्षी संख्या 1 से 3 के विरूद्व पेश किया है जबकि उक्त कृषि भूमि प्रार्थीया की पैतृक भूमि नहीं रही है, न ही प्रार्थीया के पिता की पैतृक रही है एवं न ही प्रार्थीया के नाम से पैतृक भूमि रही है क्योंकि प्रार्थीया ने अपने वादपत्र/प्रार्थना पत्र के साथ जो शजरा पेश किया है जिसमें विपक्षी सं. 3 दला

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.12.18 16:43:07 IST
Reason: SelfAttested

के पिता का नाम वेणा एवं दादा का नाम धन्ना नहीं है। विपक्षी सं. 3 के दादा का नाम गंगाराम है। अतः उक्त भूमि प्रार्थीया की पैतृक कृषि भूमि नहीं होकर उक्त भूमि विपक्षी संख्या 3 के खातेदारी हक अधिकार एवं आधिपत्य की है जिसे विपक्षी सं. 3 को रहन, बैह, बक्षीस आदि तरीको से हस्तान्तरित करने का पूर्ण अधिकार होने से विपक्षी सं. 3 ने उक्त भूमि विपक्षी सं. 1 को रजिस्टर्ड दान पत्र के जरिये दान कर कब्जा सिपुर्द कर दिया हैं। इस प्रकार प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत वादपत्र/प्रार्थना पत्र पैतृक कृषि भूमि के अभाव में इसी स्तर पर निरस्तनीय हैं।

11. यह कि प्रार्थीया ने वादग्रस्त कृषि भूमि को पैतृक होना बताकर अपना हक क्लेम करते हुए घोषणा, बंटवाडा एवं निषेधाज्ञा के लिए वादपत्र/प्रार्थना पत्र पेश किया है जिसमें प्रार्थीया ने वादपत्र/प्रार्थना पत्र के शीर्षक में अपने पिता का नाम दला अंकित किया है लेकिन प्रार्थीया के पिता का नाम दला विपक्षी सं. 3 नहीं हैं। वादपत्र/प्रार्थना पत्र के शीर्षक में प्रार्थीया ने अपने पिता का नाम गलत अंकित किया है क्योंकि प्रार्थीया विपक्षी सं. 3 के नुत्फे से पैदा नहीं हुई है, अतः प्रार्थीया जब विपक्षी संख्या 3 की पुत्री ही नहीं है तो वादग्रस्त सम्पति प्रार्थीया की पैतृक होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। प्रार्थीया का वादपत्र/प्रार्थना पत्र पैतृक कृषि भूमि के अभाव में निरस्तनीय हैं।

12. यह कि विपक्षी सं. 2 श्रीमती भगुबाई पुत्री नाथु जी जाट निवासी धोला का धनेरिया है और भगुबाई को उसके बडे पापा नगजीराम ने भगुबाई के पिता नाथ जी के बिना ज्ञान, बिना सहमति के उसके ससुराल से मांगीलाल पिता जगरूप जाट निवासी फलीचडा के नाते दे दिया जहां श्रीमती भगुबाई एवं मांगीलाल दोनो करीब 5–6 माह तक पति पत्नी के रूप में साथ रहे तब भगुबाई गर्भ से हो गयी और प्रार्थीया के पिता नाथु जी को जब इस बात का पता चला कि उसके भाई ने भगुबाई को फलीचडा नाते दे दिया तो नाथु जी अपनी पुत्री भगुबाई को अपने साथ धोला का धनेरिया निवासी मांगीलाल पिता जगरूप के यहां से ले आए तब धोला का धनेरिया में भगुबाई ने अपने पीहर मांगीलाल पिता जगरूप के नुत्फे से प्रार्थीया मांगीबाई को जन्म दिया हैं। इस प्रकार प्रार्थीया विपक्षी सं. 3 दला पिता वेणा जी की पुत्री नहीं होकर प्रार्थीया मांगीबाई मांगीलाल पिता जगरूप जाट निवासी फलीचडा की पुत्री है। अतः प्रार्थीया जब तक सक्षम सिविल न्यायालय से अपने आपको विपक्षी सं. 3 की पुत्री घोषित नहीं करा ले तब तक प्रार्थीया का वाद माननीय न्यायालय में पोषणीय नही होकर वादपत्र/प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर निरस्त होने योग्य हैं।

13. यह कि हस्तगत प्रकरण में विवादित भूमि को विपक्षी सं. 3 ने विपक्षी सं. 1 के पक्ष में रजिस्टर्ड बक्षीस नामा के जरिये बक्षीस कर विपक्षी सं. 1 को कब्जा सिपुर्द कर दिया है ऐसे में प्रार्थीया जब तक विपक्षी सं. 3 द्वारा विपक्षी सं. 1 के पक्ष में निष्पादित किये गये विक्रय पत्र को सक्षम सिविल न्यायालय से निरस्त नहीं करा ले तब तक प्रार्थीया का

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.12.18 16:43:07 IST
Reason: SelfAttested

वादपत्र/प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में पोषणीय नहीं होकर इसी स्तर पर निरस्तनीय हैं।

14. यहकि हस्तगत प्रकरण में विवादित भूमि प्रार्थीया की पैतृक नहीं होने से प्रार्थीया का उक्त भूमि में किसी प्रकार का कोई हक अधिकार एवं आधिपत्य नहीं है तो उसे रजिस्टर्ड बक्षीशनामा के जरिये बक्षीस की गयी भूमि बाबत् मिथ्या आधारो को आधार बनाकर वर्तमान वाद संस्थित करने का कोई अधिकार नहीं है। प्रार्थीया को विपक्षी सं. 3 द्वारा विपक्षी सं. 1 के पक्ष में निष्पादित किया गया बक्षीशनामा निरस्त कराने का वाद पेश करना चाहिए था लेकिन प्रार्थीया ने बक्षीशनामा निरस्त कराने का वाद/प्रार्थना पत्र पेश नहीं कर यह वाद/प्रार्थना पत्र पेश कर दिया है जो काबिल निरस्त हैं।

15. यह कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 14(1) में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कृषि भूमि पर स्वामित्व के साथ साथ कृषि भूमि पर कब्जा होना भी आवश्यक है जब कि प्रार्थीया का कभी भी इस कृषि भूमि पर न तो स्वामित्व रहा न ही कब्जा रहा हैं। अतः इस विवादित भूमि पर प्रार्थीया का कब्जा नहीं होने से प्रार्थीया का वाद/प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं हैं।

16. यह कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसार हिन्दू महिला के पास न केवल कृषि भूमि का स्वामित्व होना चाहिए बल्कि उसने कृषि भूमि का अधिग्रहण भी किया होगा। इस प्रकार का वाद/प्रार्थना पत्र कृषि भूमि के स्वामित्व एवं कब्जा प्रार्थीया के पास कभी नहीं रहा है जिससे प्रार्थीया का वाद/प्रार्थना पत्र निरस्त होने योग्य हैं।

17. यह कि प्रार्थीया ने अपने वाद/प्रार्थना पत्र के कथनो के समर्थन में ऐसा कोई दस्तावेज अथवा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है जिससे प्रार्थीया के कथनों की पुष्टि हो। प्रार्थीया ने यह वाद/प्रार्थना पत्र केवल मात्र मौखिक कथन के आधार पर किया है जबकि कानूनन मौखिक कथनो के आधार पर कोई वाद/प्रार्थना पत्र किसी भी दृष्टि से चलने योग्य नहीं हैं। प्रार्थीया का वाद/प्रार्थना पत्र भी मौखिक कथनो के आधार पर ही है जो बार्ड बॉई लॉ होकर इसी स्तर पर रिजेक्ट होने योग्य हैं।

18. यह कि हम विपक्षीगण के विरूद्व प्रार्थीया को इस वाद/प्रार्थना पत्र के लिए कोई बिनाय (कॉज ऑफ एक्शन) पैदा नहीं होना है इसलिए भी प्रार्थीया का वाद चलने योग्य नहीं हैं।

19. यह कि प्रार्थीया ने इस वाद/प्रार्थना पत्र में विपक्षी सं. 56 से 59 क्रमशः राज्य सरकार जरिये उप तहसीलदार उप तहसील सनवाड, उप पंजीयक सनवाड, तहसीलदार मावली, राज्य जरिये तहसीलदार मावली को पक्षकार बनाया गया है जबकि कानूनन जहां लोक सेवक को किसी वाद में पक्षकार बनाया जाता है तो वहां धारा 80 जा.दी. के तहत् नियमानुसार दो माह का नोटिस देना आवश्यक है जो नोटिस प्रार्थीया ने नहीं दिया है जो आवश्यक प्रावधान है जिससे भी प्रार्थीया का वाद/प्रार्थना पत्र निरस्त होने योग्य हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.12.18 16:43:07 IST
Reason: SelfAttested

20. यह कि प्रार्थीया के द्वारा जो वादपत्र/प्रार्थना पत्र में अभिकथन के अनुसार प्रार्थीया रेकार्डेड टिनेन्ट नहीं है वहीं विपक्षी सं. 3 इस भूमि का रिकार्डेट टिनेन्ट होने से विपक्षी सं. 1 को बक्षीस किया है जो विपक्षी सं. 1 के नाम पर अंकित हो वर्तमान में विपक्षी सं. 1 रिकार्डेट टिनेन्ट हैं। अतः प्रार्थीया का वाद/प्रार्थना पत्र रिकार्डेड टिनेन्ट के विरूद्व चलने योग्य नहीं हैं।

21. यह कि प्रार्थीया ने उक्त भूमि को प्रार्थीया एवं विपक्षी सं. 1 व 2 की संयुक्त हिन्दू परिवार की पैतृक सम्पति होना बताया है साथ ही प्रार्थीया के ससुर विपक्षी सं. 3 दला जी को उनके पूर्वजो से प्राप्त होने, दला जी स्वयं द्वारा क्रय नहीं करे, दला जी को रहन बेह बक्षीश आदि तरीको से हस्तान्तरित करने का अधिकार नहीं होने, दला को उनका हिस्सा ही हस्तान्तरित करने का अधिकार होने तथा प्रार्थीया का 1/4 हिस्सा होने का कथन किया है जो अक्षर अक्षर गलत होकर अस्वीकार। सही स्थिति इस प्रकार है कि प्रार्थीया विपक्षी सं. 3 दला जी की पुत्री नहीं होकर प्रार्थीया श्री मांगीलाल पिता जगरूप जी जाट निवासी फलीचडा की पुत्री है और प्रार्थीया का यदि कोई कानूनी रूप से हक बनता भी है तो वह अपने पिता मांगीलाल की सम्पति में हक क्लेम करने के लिए स्वतन्त्र है। जहां तक प्रार्थीया ने अपने आपको विपक्षी सं. 3 दला जी की पुत्री होना दर्शाया है जो अक्षर अक्षर गलत है। विपक्षी सं. 3 विपक्षी सं. 2 को नाते लाए थे तब प्रार्थीया सवा साल की थी ओर विपक्षी सं. 2 के साथ बाखडी साथ आयी थी। विपक्षी सं. 3 एवं विपक्षी सं. 2 के नुत्फे से प्रार्थीया का जन्म नहीं हुआ हैं। इस कारण प्रार्थीया की उक्त भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की पुश्तैनी होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। दला जी के उनकी पत्नी विपक्षी सं. 2 से विपक्षी सं. 1 पुत्र का जन्म हुआ और विपक्षी सं. 3 ने विपक्षी सं. 1 के नाम विवादित भूमि का जो बक्षीशनामा दिनांक 29.01.2024 को निष्पादित कर पंजीयन कराया गया वह विधि अनुसार निष्पादित कर पंजीयन करवाया गया है और यह भूमि विपक्षी सं. 3 को बक्षीस करने का पूर्ण अधिकार था और उन्ही अधिकारों के तहत् बक्षीस किया है और कब्जा विपक्षी स. 1 को सिपुर्द कर दिया है ओर उक्त भूमि जरिये नामान्तकरण विपक्षी स. 1 के नाम खातेदारी हक से अंकित हो विपक्षी स. 1 उक्त भूमि का खातेदार काश्तकार होकर स्वामी अधिकारी एवं आधिपत्यधारी है ओर खातेदार काश्तकार के विरूद्ध प्रार्थीया किसी प्रकार की कोई निषेधाज्ञा जारी नहीं करा सकती है। विवादित भूमि में प्रार्थीया का किसी प्रकार का कोई हक अधिकार एवं आधिपत्य नही है। जहां तक विपक्षी स. 2 भगुबाई के हिस्से का सवाल है तो विपक्षी स. 2 भगुबाई विपक्षी स. 3 की पत्नी होकर विपक्षी स. 2 को विपक्षी स. 1 के जीवनकाल मे मात्र भरण पोषण का ही अधिकार है। प्रार्थीया विपक्षी स. 3 को अपना ससुर बताया है जो भी गलत है। एक तरफ तो प्रार्थीया विपक्षी स. 3 दला को अपना पिता होने का कथन कर हक क्लेम करने का दावा कर रही है दूसरी तरफ विपक्षी स. 3 को अपना

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.12.18 16:48:07 IST
Reason: SelfAttested

ससुर बता रही है। प्रार्थीया के कथनों मे विरोधाभाष होने के कारण प्रार्थीया का वाद चलने योग्य नहीं है।

22. कि प्रार्थना पत्र में प्रार्थीया ने जो सजरा पेश किया है जिसमें अपने आपको विपक्षी स. 3 दला की पुत्री होना दर्शाया है जो गलत है। प्रार्थीया मांगीबाई दला की पुत्री नही होकर मांगीलाल पिता जगरूप जाट नि० फलीचडा की पुत्री है ऐसे में उक्त भूमि में प्रार्थीया का किसी प्रकार का कोई हक अधिकार एवं आधिपत्य नही है। प्रार्थीया चूंकि विपक्षी स. 3 दला जी की पुत्री नही है इस कारण उसने सजरे मे वेणा के पिता का नाम धन्ना अंकित किया है जब कि वेणा जी के पिता का नाम धन्ना नही होकर गंगाराम है।

23. विवादित भूमि विपक्षी स. 3 को अपने पिता वेणा जी की विरासत से प्राप्त हुई ओर वेणा जी का विपक्षी स. 3 जाईन्दा पुत्र होकर विपक्षी स. 3 को अपने खातेदारी हक अधिकार एवं आधिपत्य की भूमि को बक्षीश करने का पुर्ण अधिकार है। विपक्षी स. 3 का विवादित भूमि में 1/4 हिस्सा होने का प्रार्थीया ने जो कथन किया है वह गलत है। जब प्रार्थीया विपक्षी स. 3 की पुत्री ही नही है तो प्रार्थीया का उक्त भूमि मे किसी प्रकार का कोई हक होने का सवाल ही पेदा नही होता है। विपक्षी स. 3 द्वारा विपक्षी स. 1 के पक्ष में निष्पादित किया गया बक्षीश पत्र चुपके से निष्पादित नहीं किया गया बल्कि अपने हक व अधिकारों के तहत निष्पादित कर पर्जियन कराया गया है। बक्षीश नामा के आधार पर नामान्तकरण सं. 1704 सही स्वीकृत हुआ है। पहली बात तो प्रार्थीया के पिता विपक्षी स. 3 नही है ओर प्रार्थीया को दिनांक 30.03.2024 को जानकारी होने का कथन भी गलत है। प्रार्थीया विपक्षी स. 3 की पुत्री नही है ओर विवादित भूमि विपक्षी स. 3 की खातेदारी भूमि होने से विपक्षी स. 3 ने विपक्षी स. 1 के पक्ष में जो बक्षीश नामा निष्पादित किया गया है वह विधि अनुसार निष्पादित किया गया है। जब प्रार्थीया विपक्षी स. 3 की पुत्री ही नही है तो उसका इस भूमि मे किसी प्रकार का कोई हक अधिकार होने का सवाल ही पेदा नही होता है। विवादित भूमि का विपक्षी स. 1 मोहनलाल खातेदार काश्तकार है ओर विपक्षी स. 1 खातेदार काश्तकार की हेसियत से उक्त भूमि पर काश्त कर पैदावार ले रहा है। प्रार्थीया किसी भी प्रकार से कोई घोषणा कराने की अधिकारी नही है।

24. कि विपक्षी स. 3 द्वारा विपक्षी स. 1 के पक्ष मे निष्पादित किया गया दान पत्र विधि अनुसार निष्पादित किया गया है। प्रार्थीया विपक्षी स. 3 की पुत्री नही है ओर प्रार्थीया का विवादित भूमि मे किसी प्रकार का कोई हक अधिकार एवं आधिपत्य नही है तो दान पत्र प्रार्थीया के मुकाबले नल एण्ड वोईड होने का सवाल ही पेदा नही होता है। विपक्षी मोहनलाल के नाम राजस्व रेकर्ड मे सही अंकन हुआ है जिसे प्रार्थीया हटवाने की अधिकारी नही है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.12.18 16:43:07 IST
Reason: SelfAttested

25. कि हम विपक्षीगण के विरूद्ध प्रार्थीया को किसी प्रकार का कोई बिनाय वाद दिनांक 30.03.2024 को अथ्वा दिनांक 08.04.2024 को एवं 09.04.2024 को पैदा होने का कथन गलत है। प्रार्थीया ने मात्र दावा बनाने की नीयत से झुठी बिनाय अंकित की गयी है।

26. कि जब विवादित भूमि मे प्रार्थीया का किसी प्रकार का कोई हक अधिकार एवं आधिपत्य ही नही है तो प्रार्थीया हम विपक्षीगण के विरूद्ध किसी प्रकार की कोई स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने की अधिकारी नही है। विपक्षी स. 1 विवादित भूमि का खातेदार काश्तकार है ओर खातेदार काश्तकार के विरूद्ध प्रार्थीया निषेधाज्ञा जारी नहीं करा सकती है। अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही होने से प्रार्थीया को किसी प्रकार की कोई क्षति होने वाली नही है जब कि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर दी गयी तो हम विपक्षीगण को इतनी अशोधनीय हानी होगी जिसका एवजाना नकदी में किसी भी सुरत मे नही आंका जा सकेगा। प्रथम दृष्टया केस, सुविधा सन्तुलन एवं अतुलनीय क्षति के तीनों बिन्दू हम विपक्षीगण के पक्ष में है।

27. वादीया ने हम विपक्षीगण को हेरान व परेशान करने के लिए मिथ्या आधारों को आधार बनाकर वाद एवं प्रार्थना पत्र पेश किया है जो सव्यय खारिज होने योग्य है।

28. अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा सव्यय खारिज फरमाया जावे एव हम विपक्षीगण को प्रार्थीया से विशेष हर्जे खर्चे के रूप में 20 हजार रूपया दिलाया जावे।

29. प्रकरण में अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गईं। अधिवक्ता प्रार्थीया द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा न्यायिक दृष्टान्त RBJ 2000 (7) Page 483, RRT 2017 (1) Page 491, RRT 2013 (1) Page 152, DNJ 2002 (2) Page 804 पेश कर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता विपक्षी सं. 1 से 3 द्वारा अपनी बहस में जवाब में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा न्यायिक दृष्टान्त RRT 2010 (1) Page 125, RRT 2018 (2) Page 879 पेश कर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने का निवेदन किया।

30. हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। अधिवक्ता उभय पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त का सद्भावनापूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि मौजा खरताणा पटवार हल्का खरताणा तह. मावली की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077–80 के खाता संख्या 318 पर दर्ज आराजी नम्बर 65 रकबा 0.0890 हेक्टेयर, खाता सं. 158 पर दर्ज आराजी नम्बर 1339, 1346, 27, 29, 31, 32 किता 6 कुल रकबा 2.1124 हेक्टेयर, खाता सं. 144 पर दर्ज आराजी नम्बर 1210, 1338, 23 किता 3 कुल रकबा 0.7203 हेक्टेयर, खाता सं. 422 पर दर्ज आराजी नम्बर 1341 रकबा 0.0647 हेक्टेयर एवं खाता सं. 404 पर दर्ज आराजी नम्बर 36 रकबा 0.0809

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.12.18 16:43:07 IST
Reason: SelfAttested

हेक्टेयर भूमि विपक्षी सं. 1 व अन्य सहखातेदार के नाम हिस्सेनुसार दर्ज हैं। विपक्षी सं. 1 के नाम दर्ज हिस्सा पूर्व में विपक्षी सं. 3 अर्थात् विपक्षी सं. 1 के पिता के नाम दर्ज था। उक्त वादग्रस्त भूमि विपक्षी सं. 1 के नाम जरिये रजिस्टर्ड दानपत्र के नामान्तरकरण सं. 1704 स्वीकृत दिनांक 03.12.2024 से दर्ज होना जाहिर आया हैं। प्रार्थीया द्वारा उक्त वादग्रस्त भूमि को अपनी पैतृक सम्पति होना बताकर अपने हिस्से की घोषणा चाही गई हैं। प्रार्थीया द्वारा मूल वाद घोषणा का प्रस्तुत किया उसी के साथ यह अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया हैं। प्रार्थीया उक्त प्रार्थना पत्र के माध्यम से विपक्षी सं. 1 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करवाना चाहती हैं। प्रथम दृष्टया जमाबन्दी अनुसार विपक्षी सं. 1 वादग्रस्त भूमि का हिस्सेनुसार खातेदार हैं। प्रार्थीया वादग्रस्त भूमि की खातेदार नहीं है। विपक्षी संख्या 1 खातेदार होने से प्रथम दृष्टया मामला विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में साबित होता हैं। प्रकरण में विपक्षी संख्या 1 हिस्सेनुसार खातेदार होने से यदि खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की जाती है तो इनके खातेदारी अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा। अतः सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु भी विपक्षी सं. 1 के पक्ष में साबित होते है। अतः उपरौक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता है।

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अस्वीकार कर खारिज किया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 05.12.2024 को जारी की गई।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(FT)मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.12.18 16:43:07 IST
Reason: SelfAttested